

परिशिष्ट - "ब"

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश
पुस्तक क्र. संदर्भ क्र.
प्रमाण-पत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक
दिनांक 2005/18.12

जाति प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग)

(स्थायी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
आत्मज श्री निवासी/ग्राम
जिला/ संभाग मध्यप्रदेश के निवासी है, जो जाति
के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक-26 दिसम्बर, 1984 की अनुसूची में क्रमांक 39
पर जाति/उपजाति/वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश
के जिला संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमीलेयर (सम्पन्न
वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
परिपत्र क्र. 360/2/22/93/स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ. प्र. दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ
संलग्न परिशिष्ट "इ" की अनुसूची के कॉलम -3 में किया गया है एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग मन्त्रालय के पत्र क्रमांक एफ-7-16/2000/आ.प्र./एफ. भोपाल दिनांक 6-7-2000 द्वारा उल्लेखित
क्रीमीलेयर के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्ड की अनुसूची के अनुक्रमांक-6 आय/सम्पत्ति-आंकलन भाग (क)
में संशोधन किया गया है।

दिनांक .. 21/7/08

प्राधिकृत अधिकारी का नाम
पद नाम एवं सील
अनुविभाग देवास ग. प्र.